न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट
जिला फलोदी

पिठासीन अधिकारी – मांगीलाल (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :- 182/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. आदुराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी कड़वासरा नगर तहसील लोहावट जिला फलोदी।		1. अनाराम पुत्र जोराराम 2. कुभाराम पुत्र जोराराम 3. मूली पत्नि जोराराम फोत के कायम मुकाम – वादी प्रतिवादी संख्या 01, 2, व 3.1. सुगनी पुत्री जोराराम 3.2. मंगी पुत्री जोराराम जाति जाट निवासी कड़वासरानगर तहसील लोहावट जिला फलोदी। 4. तहसीलदार लोहावट भूमिधारी सरकार।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :-

1. अधिवक्ता वादीगण :- श्री अशोक कुमार कड़वासरा
2. अधिवक्ता प्रतिवादीगण :- श्री लंकेश सुथार

निर्णय

दिनांक :- 29.5.24

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल पल्ली के राजस्व ग्राम कड़वासरा नगर के खसरा नम्बर 953 रकबा 1.6349 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 960 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 961 रकबा 5.9327 हैक्टेयर तथा ग्राम बापूनगर के खसरा नम्बर 1027 रकबा 4.3463 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1007 रकबा 22.5814 हैक्टेयर व ग्राम पल्ली प्रथम के खसरा नम्बर 937 रकबा 10.9022 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारो की स्थित है।

सहायक कलेक्टर
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner

ग्राम कड़वासरा नगर के खसरा नम्बर 953, 960, 961 व ग्राम बापूनगर के खसरा नम्बर 1027, 1007 के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम आईदानराम पुत्र जोराराम दर्ज है तथा ग्राम पल्ली प्रथम के खसरा नम्बर 937 के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का नाम आदूराम पुत्र जोराराम दर्ज है। वादी का वास्तविक नाम आदूराम पुत्र जोराराम दर्ज है तथा ग्राम कड़वासरा नगर के खसरा नम्बर 953, 960, 961 व ग्राम बापूनगर के खसरा नम्बर 1027, 1007 के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी के अलावा सभी अन्य दस्तावेजात में वादी का सही नाम आदूराम पुत्र जोराराम दर्ज है। ग्राम कड़वासरा नगर के खसरा नम्बर 953, 960, 961 व ग्राम बापूनगर के खसरा नम्बर 1027, 1007 के राजस्व रेकॉर्ड में नाम अशुद्ध अंकन होने से वादी को भारी परेशानियो का सामना करना पड़ता है इसलिए ग्राम कड़वासरा नगर के खसरा नम्बर 953, 960, 961 व ग्राम बापूनगर के खसरा नम्बर 1027, 1007 के राजस्व रेकॉर्ड में वादी अपना नाम आईदानराम पुत्र जोराराम के स्थान पर आदूराम पुत्र जोराराम के नाम की खातेदारी घोषणा करवाने का वाद न्यायालय हजा के समक्ष प्रस्तुत किया।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 03 फोत होने पर अधिवक्ता वादी ने आदेश 22 नियम 04 सी पी सी प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री लंकेश सुथान ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वादी का वाद स्वीकार कर वादी का नाम आईदानराम से आदुराम सही किये जाने हेतु अभिस्वीकृती दी। तहसीलदार से जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार ने मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल मिसल की गयी।

अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि ग्राम बापूनगर के खसरा नम्बर 1027, 1007 व ग्राम कड़वासरा नगर के खसरा नम्बर 953, 960, 961 के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का नाम आईदानराम पुत्र जोराराम के स्थान पर वादी का सही नाम आदूराम पुत्र जोराराम दर्ज किये जाने आदेश प्रदान करावें एवं वाद को अन्तिम डिक्री फरमाया जावें।

अधिवक्ता वादी निवेदन पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन वादी के सभी दस्तावेजात में वादी का नाम आदुराम पुत्र जोराराम दर्ज है तथा ग्राम पल्ली प्रथम के खसरा नम्बर 937 की जमाबन्दी में भी वादी का नाम आदुराम दर्ज है। लेकिन ग्राम बापूनगर के खसरा नम्बर 1027, 1007 व ग्राम कड़वासरा

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलौदी

नगर के खसरा नम्बर 953, 960, 961 के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का नाम आईदानराम पुत्र जोराराम अशुद्ध दर्ज है। वादी के अन्य दस्तावेजात एवं राजस्व रेकॉर्ड में नाम भिन्नता के कारण इन्हे समस्याओ का सामना करना पड़ता है ओर राजस्व रेकॉर्ड में नाम सही दर्ज करने से अन्य खातेदारो के खातेदारी अधिकारो पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ता है। वादीगण राजस्व रेकॉर्ड में अपना नाम सही दर्ज करवाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण जो रिश्ते में वादी के परिवार के सदस्य है ओर जोराराम के वारीसान है जिन्हे वादी का नाम सही किये जाने पर कोई आपति नही है। इसलिए वादी का वाद नैसर्गिक न्याय के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तहसील लोहावट के राजस्व ग्राम बापूनगर के खसरा नम्बर 1027 रकबा 4.3463 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1007 रकबा 22.5814 हैक्टेयर व ग्राम कड़वासरा नगर के खसरा नम्बर 953 रकबा 1.6349 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 960 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 961 रकबा 5.9327 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित आईदानराम पुत्र जोराराम नाम के स्थान पर आदुराम पुत्र जोराराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार लोहावट को आदेश दिया जाता है कि उक्त खसरान के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित आईदानराम पुत्र जोराराम नाम के स्थान पर आदुराम पुत्र जोराराम दर्ज किया जाकर रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावें। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मांगीलाल (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलोदी

सहायक कलेक्टर
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम लोहावट जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 182/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. आदुराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी कड़वासरा नगर तहसील लोहावट जिला फलोदी।		1. अनाराम पुत्र जोराराम 2. कुभाराम पुत्र जोराराम 3. मूली पत्नि जोराराम फौत के कायम मुकाम - वादी प्रतिवादी संख्या 01, 2, व 3.1. सुगनी पुत्री जोराराम 3.2. मंगी पुत्री जोराराम जाति जाट निवासी कड़वासरानगर तहसील लोहावट जिला फलोदी। 4. तहसीलदार लोहावट भूमिधारी सरकार।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरू मेरे हाजिर अशोक कुमार कड़वासरा मिनजानिब मुद्दई व कोई हाजिर नही मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि तहसील लोहावट के राजस्व ग्राम बापूनगर के खसरा नम्बर 1027 रकबा 4.3463 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1007 रकबा 22.5814 हैक्टेयर व ग्राम कड़वासरा नगर के खसरा नम्बर 953 रकबा 1.6349 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 960 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 961 रकबा 5.9327 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित आईदानराम पुत्र जोराराम नाम के स्थान पर आदुराम पुत्र जोराराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner

किया जाता है। तहसीलदार लोहावट को आदेश दिया जाता है कि उक्त खसरान के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित आईदानराम पुत्र जोराराम नाम के स्थान पर आदुराम पुत्र जोराराम दर्ज किया जाकर रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावें।

नीज ..X.. मुतालिक .X... बाबत् ...X.... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह ....X फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ...... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.5.2024 जारी की गई।

मांगीलाल (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलोदी

सहायक कलेक्टर
लोहावट जिला फलोदी

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकन का चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

मांगीलाल (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलोदी

सहायक कलेक्टर
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner